कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–659/254/आउशि/शा.–5'अ'/2020. भोपाल, दिनांक– 15/09/2020.

प्रति,

1. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. सी.ई.ओ.,
   एम.पी.ऑनलाइन, डी.बी मॉल, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स भोपाल।

विषय :– सत्र 2020–21 के अन्तर्गत ऑनलाइन ई–प्रवेश के अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु प्रथम किश्त की प्रवेश शुल्क की राशि के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भ :– 1. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक 949/2020/सीसी/2020/अडतीस भोपाल, दिनांक 31.07.2020

2. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा पत्र क्रमांक 629/219/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल दिनांक 04.09.2020

––000––

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के सन्दर्भित आदेश द्वारा सत्र 2020–21 के लिए ऑनलाइन ई–प्रवेश के अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये। ऑनलाइन ई–प्रवेश मार्गदर्शिका की कण्डिका 2.3.2 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित आदेश द्वारा कोरोना (कोविड–19) एवं विद्यार्थियों के द्वारा प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त की राशि जमा करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रवेश के समय प्रथम किश्त की राशि रूपये 1000/– (एक हजार) जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

सी.एल.सी. प्रथम चरण शासकीय महाविद्यालयों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जहां प्रवेश हेतु प्रथम किश्त के रूप में प्रवेश शुल्क की राशि रूपये 1000/– (एक हजार) से कम है उन पाठ्यक्रमों में सी.एल.सी. चरण में ऑनलाइन प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि पर ही प्रवेश प्रदान किया जाएगा प्रवेश शुल्क की शेष राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किश्तों में ऑनलाइन जमा की जाएगी।

अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के शेष पाठ्यक्रमों के लिए सी.एल.सी. चरण में ऑनलाइन प्रवेश के समय विद्यार्थी प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त की राशि न्यूनतम रूपये 1000/– (एक हजार) जमा करेंगे। प्रवेश शुल्क की शेष राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किश्तों में ऑनलाइन जमा की जाएगी।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

15/9/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक–660/254/आउशि/शा.–5'अ'/2020. भोपाल, दिनांक–15/09/2020

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. निज सहायक अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
8. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश